तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री कस्तूरचन्द जाति धाकड़ निवासी सहरोद तह. अटरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली स्थानान्तरण करने बाबत इस आशय का पेश हुआ कि मगनलाल बनाम निर्मल कुमार मि.नं. 116/2021 उनवान की पत्रावली न्यायालय उप जिला कलेक्टर, अटरू में विचाराधीन है। प्रार्थी उक्त उनवानी पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी तथा वादी के मध्य सांठगांठ हो गई है तथा पीठासीन अधिकारी जाति वाद की आड़ लेकर प्रार्थी के खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थना पत्र मिथ्या, बनावटी, निराधार एवं प्रमाणहीन तथ्य विहीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं पीठासीन अधिकारी एक जाति के होने के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। मात्र कयासों के आधार पर न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 116/2021 में अप्रार्थी को न्याय से वंचित करने एवं प्रकरण को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि धारा 235 आर.टी.ए. के प्रावधानों एवं सिद्धान्तों से असंगत निराधार होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी एवं पीठासीन अधिकारी एक ही जाति के होने तथा अप्रार्थी एवं पीठासीन अधिकारी में सांठ गांठ होने से प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः प्रकरण जिले के अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करें। इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी एवं पीठासीन अधिकारी एक ही जाति के होने से मात्र [illegible]यासों के आधार पर [illegible] ने प्रमाणहीन एवं तथ्यों से परे प्रार्थना पत्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 235 आर.टी.ए. के प्रावधानों एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:57 IST
Reason: SelfAttested

	सिद्धान्तों से असंगत होने से निरस्तनीय होने से निरस्त फरमाया जावे। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मात्र पक्षकार एवं पीठासीन अधिकारी का एक ही जाति का होना प्रकरण को अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ए. अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वास्ते सुनवाई वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:57 IST
Reason: SelfAttested